आदेश

जनपद सिद्धार्थनगर में दिनांक 13.09.2015 को आयोजित राजस्व लेखपाल लिखित परीक्षा 2015 में उत्तीर्ण घोषित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के उपरान्त लिखित एवं साक्षात्कार के कुल अंकों के आधार पर चयन समिति द्वारा कुल 425 अभ्यर्थियों का चयन लेखपाल के पद पर किया गया है। इसमें से 414 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका था। अवशेष 11 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम मान्य/निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र न होने के कारण स्थगित कर इसकी सूचना कार्यालय पत्र संख्या–1504/सात–भूलेख/2016–17 दिनांक 20.04.2016 द्वारा प्रकाशित करते हुए जंनपद की वेबसाइट व कलेक्ट्रट, विकास व समस्त तहसीलों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया गया था। इन रोके गये 11 अभ्यर्थियों में से 02 अभ्यर्थी जिनका जाति प्रमाण पत्र कार्यालय को प्राप्त हो गये हैं,की तैनाती जिलाधिकारी महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.5.2016 के क्रम में उनके नाम के सम्मुख कालम 7 में अंकित तहसील आवंटित किया जाता है:–

Sr. No.	Org. Sr. No.	Roll Number	Applicant Full Name	Father's Full Name	Home Tahsil/ District/State	Allotted Tahsil
1	**496**	802115620098	RAM KARAN	RAM KRISHAN	JALAUN	BANSI
2	**753**	802214680185	AYUSHI YADAV	MUNSHI LAL YADAV	KANPUR DEHAT	SHOHRATGARH

उपरोक्तानुसार राजस्व लेखपाल के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के वेतनमान 5200–20200 व ग्रेड पे 2000 में रिक्त लेखपाल क्षेत्र पर नियुक्ति सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही पूर्ण कराने के उपरान्त की जायेगी:

1. उ0प्र0 लेखपाल सेवानियमावली, 2006(यथा संशोधित) के नियम–11 के अनुसार समस्त सम्बन्धित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन(Police Verification)कराया जायेगा।
2. नियमावली के नियम–11 के अनुसार संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे अथवा नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे। इस हेतु अभ्यर्थी को शपथ–पत्र देना होगा। शपथ पत्र में एक बिन्दु यह भी होगा कि मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित रिट याचिकाओं में पारित आदेश का अनुपालन अभ्यर्थी द्वारा किया जायेगा।
3. नियमावली के नियम–12 के अनुसार नियुक्ति हेतु ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो, इसके समाधान हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को घोषणा–पत्र/नोटरी शपथ–पत्र देना होगा।
4. नियमावली के नियम–13 के अनुसार सभी चयनित अभ्यर्थियों को मुख्य चिकित्साधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. सम्बन्धित अभ्यर्थियों को दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
6. अभ्यर्थी सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के समक्ष अपने सभी प्रमाण पत्रों की स्व–प्रमाणित प्रतियों के साथ उपस्थित होंगे तथा मूल प्रमाण–पत्र के साथ उसका सत्यापन कराते हुए जमा करेंगे।
7. नियमावली के नियम–17 के अनुसार लेखपाल के पद पर नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को परिषद द्वारा निर्धारित किये गये तिथि पर लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय में प्रवेश लेकर नियमानुसार एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। इस हेतु पृथक से आदेश निर्गत किया जायेगा।
8. नियमावली के नियम–18(4) के अनुसार लेखपाल प्रशिक्षण के उपरान्त आयोजित अर्हकारी परीक्षा में यदि कोई प्रशिक्षार्थी असफल होता है तो ऐसे विषयों में जिनमें वह अर्हकारी परीक्षा के दौरान असफल रहा, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए दो अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा। यदि उक्त अतिरिक्त अवसर का लाभ उठाने के पश्चात